न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :–श्री जयसिंह आर.ए.एस.

मि0न0 –200 / 2020(2020 / 00289)

अनवान : –

1. पवन कुमार पुत्र राजकुमार जाति जाट निवासी खचवाना तहसील भादरा।
2. इन्द्रजीत पुत्र राजकुमार जाति जाट निवासी खचवाना तहसील भादरा।

वादीगण

बनाम

1. राजकुमार पुत्र मुंशीराम जाति जाट निवासी खचवाना तहसील भादरा।
2. शारदा पत्नी राजकुमार जाति जाट निवासी खचवाना तहसील भादरा।
3. प्रमिला पुत्री राजकुमार जाति जाट निवासी खचवाना तहसील भादरा।
4. मधुबाला पुत्री राजकुमार जाति जाट निवासी खचवाना तहसील भादरा।
5. आई.सी.आई.सी.आई. बैंक जरिये शाखा प्रबन्धक भादरा।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

प्रतिवादीगण

दावाबाबत घोषणात्मक
अन्तर्गत धारा 88 – 89 राजस्थान कास्तकारी
अधिनियम

उपस्थिति :– श्री भानुप्रताप सिंह वादी
श्री राजेन्द्र सहारण प्रतिवादीगण

निर्णय दिनांक: 19/02/2021

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा चक 2 एन.टी.आर के वर्तमान खाता संख्या 66 / 64 के मुरब्बा नम्बर 26 के किला नं0 23 व 24 की 0.506 हैक्टेयर, मुरब्बा नं0 29 के किला नं0 3 ता 8, 13 ता 15 कुल किता 9 की 2.770 हैक्टेयर नहरी मय खाला, मुरब्बा नं0 30 के किला नं0 1, 6 ता 25 कुल किता 21 की 5.3130 हैक्टेयर नहरी मय खाला, मुरब्बा नं0 31 के किला नं0 21, 23 कुल किता 2 की कुल 0. 506 है0, मुरब्बा नं0 34 के किला नं0 1 ता 3, 8 ता 10 कुल किता 6 की 1.518 हैक्टेयर, मुरब्बा नं0 35 के किला नं0 4 ता 6 कुल किता 3 की 0.7590 इस प्रकार कुल किता 44 की कुल क्षेत्रफल 11.1320 हैक्टेयर नहरी मय खाला खातेदारी काश्तकारी कृषि भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 राजकुमार के नाम [illegible] दर्ज है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2021.10.20 17:35:14 IST
Reason: SelfAttested

वादी एवं प्रतिवादीगण हिन्दु है तथा हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम [illegible] हिन्दु मिताक्षरा पद्धति से शासित होते है। वाद भूमि पहले वादी के पड़दादा मनफूल की खातेदारी हुआ करती थी। मनफूल से वादभूमि जो प्रतिवादी राजकुमार ने कर्ता खानदान होने के

उपखण्डाधिकारी (राजस्व),
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

चलते इन्तकाल तन्हा अपने नाम से दर्ज करवा लिया। इस प्रकार वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण की दादालाई पैत्रक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक व अधिकार निहित है। वाद भूमि तन्हा प्रतिवादी राजकुमार के नाम दर्ज होने से वादी के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

उक्त वाद भूमि हिन्दु खानदान की जद्दी जायदाद है जो वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 राजकुमार को वादी के पड़दादा मनफुल से विरासतन प्राप्त हुई है। जो जमाबन्दी चक 2 एनटीआर सम्वत 2071– 74 खाता संख्या 66/64 से साफ रोशन है इस प्रकार उक्त वाद भूमि में वादी का जन्म से हक व हिस्सा निहित है।

उक्त वाद भूमि बाबत सभी पक्षकाराना में पारिवारिक समझौता किया हुआ है। प्रतिवादिया संख्या 3 ता 4 वादी की बहिनें हैं, जिन्होंने अपना हक व हिस्सा की भूमि वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 के हक में हिस्सा बराबर तर्क किया हुआ है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामिल होने के उपरान्त वादी व प्रतिवादीगण ने आप सी सहमति से राजीनामा पेश किया जो बाद तस्दीक पत्रावली पर लिया गया।

साक्ष्य वादी में वादी इन्द्रजीत पुत्र राजकुमार जाति जाट निवासी खचवाना के साक्ष्य करवाये गये। साक्ष्यवादी में जमाबंदी चक 2 एनटीआर सम्वत 2071–74 खाता संख्या 66/64, प्रदर्श 1, सरपंच ग्राम पंचायत खचवाना द्वारा सदस्यता प्रमाण पत्र प्रदर्श 2, जमाबन्दी खतौनी चक 2 एनटीआर सम्वत 2051 खाता संख्या 41/38 प्रदर्श 3, प्रदर्शित करवायें।

बहस उभय पक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने अपने दावा के तथ्यों को दोहराते हुए वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया व पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया। हस्तगत वाद वादी ने रोही मौजा चक 2 एन. टी.आर के वर्तमान खाता संख्या 66/64 के मुरब्बा नम्बर 26 के किला नं0 23 व 24 की 0.506 हैक्टेयर, मुरब्बा नं0 29 के किला नं0 3 ता 8, 13 ता 15 कुल किता 9 की 2.770 हैक्टेयर नहरी मय खाला, मुरब्बा नं0 30 के किला नं0 1, 6 ता 25 कुल किता 21 की 5.3130 हैक्टेयर नहरी मय खाला, मुरब्बा नं0 31 के [illegible] 21, 23 कुल किता 2 की कुल 0.506 है0, मुरब्बा नं0 34 के किला [illegible] की 1.518 हैक्टेयर, मुरब्बा नं0 35 के किला नं0 4 ता [illegible] 590 इस प्रकार कुल किता 44 की कुल क्षेत्रफल 11.1320 हैक्टेयर नहरी मय खाला [illegible] तेदारी काश्तकारी कृषि भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 राजकुमार के नाम 1/2 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। जिसमें वादभूमि दादालाई कृषि भूमि होना साबित है जिसमें वादीगण एवं प्रतिवादी सं 1 व

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2021.10.20 17:35:14 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्डाधिकारी (राजस्व,
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

प्रतिवादी संख्या 2 बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है। जिसे राजीनामा में स्वीकार किया है। इस प्रकार वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

अतः वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 2 एन.टी.आर के वर्तमान खाता संख्या 66/64 के मुरब्बा नम्बर 26 के किला नं0 23 व 24 की 0.506 हैक्टेयर, मुरब्बा नं0 29 के किला नं0 3 ता 8, 13 ता 15 कुल किता 9 की 2.770 हैक्टेयर नहरी मय खाला, मुरब्बा नं0 30 के किला नं0 1, 6 ता 25 कुल किता 21 की 5.3130 हैक्टेयर नहरी मय खाला, मुरब्बा नं0 31 के किला नं0 21, 23 कुल किता 2 की कुल 0.506 है0, मुरब्बा नं0 34 के किला नं0 1 ता 3, 8 ता 10 कुल किता 6 की 1.518 हैक्टेयर, मुरब्बा नं0 35 के किला नं0 4 ता 6 कुल किता 3 की 0.7590 इस प्रकार कुल किता 44 की कुल क्षेत्रफल 11.1320 हैक्टेयर नहरी मय खाला खातेदारी काश्तकारी कृषि भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 राजकुमार के नाम 1/2 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है **उसमें वादी संख्या 1 पवन कुमार, वादी संख्या 2 इन्द्रजीत व प्रतिवादी संख्या 1 राजकुमार को बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है।** प्रतिवादी संख्या 3 ता 4 के द्वारा त्याग किये गये हिस्से पर पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्यूटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त उपरोक्त घोषणा अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 19/02/2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Shakuntala
Date: 2021.10.20 17:35:14 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व),
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

उपखण्डअधिकारी (राजस्व)
भादराजिलाहनुमानगढ़